आरबी/स्था सं. 55/2011

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)1/2008/आईसी-2/1

नई दिल्ली, दिनांक: 08 .05.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां। (मानक सूची के अनुसार)

> विषयः ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को उच्चतर वैज्ञानिक/लेखा/तकनीकी अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन।

ग्रुप 'सी' के उन कर्मचारियों जिन्होंने 01.07.1988 से पहले विशिष्ट अर्हता प्राप्त कर ली थी, को प्रोत्साहन देने के संबंध में बोर्ड के दिनांक 21.02.2008 के पत्र सं. ई (एनजी)I-2008/आईसी-2/1 के संदर्भ में एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या बोर्ड के उपर्युक्त पत्र में दिए गए लाभ ग्रुप 'सी' के उन कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित तारीख से पहले अपेक्षित अर्हता प्राप्त कर ली थी लेकिन जो तत्पश्चात् कोई अतिरिक्त लाभ लिए बिना सेवानिवृत्त हो गए थे।

- 2. तदनुसार बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह विनिश्चय किया गया है कि ग्रुप 'सी' के उन कर्मचारियों जिन्होंने निर्धारित तारीख अर्थात् 01.07.88 से पहले अपेक्षित अर्हता प्राप्त कर ली थी तथा तत्पश्चात् कोई लाभ लिए बिना सेवानिवृत्त हो गए थे, को भी उनकी पात्रता के अनुसार 04.05.1990 से अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएं।
- 3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

<u>७</u>пठील्ल्स (एम.के. मीना) उप निदेशक, स्थापना (अराज) रेलवे बोई 30/5



RB/ESTT. No. 55 /2011

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD) Sin OSIEP

No.E(NG)I-2008/IC-2/1

New Delhi dated 02.05.2011

The General Managers (P)
All India Railways and
Production Units
(As per standard list)

N.10

Sub:- Incentive for acquiring higher Scientific/Accounts/Technical Qualification of Group 'C' employees.

Reference Board's letter No. E(NG)I-2008/IC-2/1 dated 21.02.2008 regarding incentive to Group 'C' employee who acquired the specified qualifications prior to 01.07.1988. A question has arisen as to whether the benefit as extended under Board's letter ibid may be extended to Group 'C' employees who had acquired the requisite qualification before the cut off dates, but retired subsequently without availing the additional benefit.

- 2. The matter has accordingly been considered by the Board and it has been decided that Group 'C' staff who acquired the requisite qualification prior to the cut off date i.e. prior to 01.07.88 and retired subsequently without availing the benefit, may also be granted additional increments w.e.f. 04.05.1990 as per their entitlements.
- 3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Railway Board.

Please acknowledge receipt.

(M.K.Meena)
Dy. Director Estt/ (N)
Railway Board

No.E(NG)1-2008/IC-2/1

New Delhi dated DQ-05-2011

Copy to the FA&CAOs of All Indian Railways/Production Units, RDSO.

(M.K.Meena)

Dy. Director Estt/ (N)

Railway Board